

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अदालत

जिला कलक्टर

मुकाम

धौलपुर

पी0एन0बी0 बैंक शाखा
शाखा धौलपुर सिटी।

बनाम

मैसर्स महाराजा एन्टरप्राइजेज
बगैरा

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

मु0 नम्बर ..85... सन् 2018

RCMS No. 2018/00/4/


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुय
23.10.18	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह प्राधिकृत अधिकारी, पी0 एन0 बी0 बैंक शाखा धौलपुर सिटी ने अप्रार्थी/ऋणी 1. मैसर्स श्री महाराजा एन्टरप्राइजेज पता जी-433, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, एक्सटेंशन रीको धौलपुर राज0 2. श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री मुन्ना लाल शर्मा प्रोपराइटर पता मकान नं0 -90, ग्राम- अधानपुर (दुल्हारा) पोस्ट विरोंधा, तहसील- मनियां धौलपुर राज0, 3. श्री मुन्नालाल शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल (जमानती) पता मकान नं0 -90, ग्राम- अधानपुर (दुल्हारा) पोस्ट विरोंधा, तहसील- मनियां धौलपुर राज0, के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 04.03.2013 को 58,00,000/-रुपये का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- मैसर्स श्री महाराजा एन्टरप्राइजेज का दृष्टि बंधक कच्चा माल व तैयार माल प्लान्ट व मशीनरी तथा भूमि व भवन आदि जो जी-433 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, एक्सटेंशन, रीको, धौलपुर, राजस्थान पर स्थित है। जिसकी माप लगभग 1275 वर्ग मीटर है ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 21.05.2018 को अधिनियम की धारा 13(2)</p>	<p>788-790 21.10.18</p>

(नन्नुमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 50,28,427.80/- रुपये मात्र दिनांक 31.03.2018 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति मैसर्स श्री महाराजा एन्टरप्राइजेज का दृष्टि बंधक कच्चा माल व तैयार माल प्लान्ट व मशीनरी तथा भूमि व भवन आदि जो जी-433 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, एक्सटेंशन, रीको, धौलपुर, राजस्थान पर स्थित है। जिसकी माप लगभग 1275 वर्ग मीटर है का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जिन्मल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर